



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड) (RAILWAY BOARD)



Office Order No. 76 of 2023

Sub.: Nodal officer for Projects related to Standard Gauge Test Track (SGTT)

Ref.: Board's Office Order No. 55 of 2018.

It has been decided that EDCE(P) shall be the nodal officer for Standard Gauge Test Track (SGTT) in addition to Dedicated Test Track (DTT) and will coordinate all aspects of the project related to setting up SGTT and DTT for Indian Railways. The progress of both the projects shall be monitored by ED/CE(P).

2. The above issues with the approval of the competent authority.

**No. 2023/O&M/7/24
Dated: 24 .11.2023**


(T. Srinivas)
Joint Secretary/Railway Board

CRB&CEO, MF, MI, MTRS, MOBD

PED/CE(P), ED/CE(P)

Copy to:-

DG/RDSO

Copy for information:-

EDPG/MR, EDPG/MOSR(D), EDPG/MOSR(J)

Room No. 229, Rail Bhawan, Raisina Road, New Delhi-110001

भारत सरकार Government of India
रेल मंत्रालय Ministry of Railways
(रेलवे बोर्ड Railway Board)

2023 का कार्यालय आदेश सं. 79

विषय: अध्यक्ष एवं कार्यकारी अधिकारी रेलवे बोर्ड, बोर्ड सदस्यों, महानिदेशकों, सचिव/रेलवे बोर्ड, अपर सदस्यों और प्रधान कार्यपालक निदेशकों के कार्यालयों/सेल में तैनात आरबीएसएसएस/आरबीएसएस अधिकारी/कर्मचारियों की एपीएआर प्रस्तुत करते समय अपनाई जाने वाली प्रक्रिया।

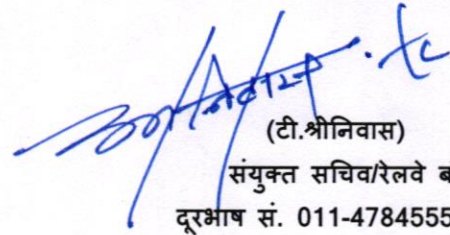
सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से अध्यक्ष एवं कार्यकारी अधिकारी रेलवे बोर्ड, बोर्ड सदस्यों, महानिदेशकों, सचिव/रेलवे बोर्ड, अपर सदस्यों और प्रधान कार्यपालक निदेशकों के कार्यालयों/सेल में तैनात आरबीएसएसएस/आरबीएसएस के अधिकारी/कर्मचारियों की एपीएआर प्रस्तुत करने के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया निर्धारित की गई है:

- (i) अध्यक्ष एवं कार्यकारी अधिकारी रेलवे बोर्ड, बोर्ड सदस्यों, महानिदेशकों, सचिव, अपर सदस्यों और प्रधान कार्यपालक निदेशकों के साथ तैनात वरिष्ठतम आरबीएसएसएस अधिकारियों के तैनाती आदेश ईआरबी-I द्वारा अपनाई जा रही मौजूदा पद्धति के अनुसार ही जारी किए जाएंगे और उनकी एपीएआर रिपोर्टिंग/पुनरीक्षण तथा स्वीकृति अधिकारी के रूप में उस अधिकारी द्वारा लिखी जाएगी जिसके साथ वह संलग्न है।
- (ii) आरबीएसएसएस/आरबीएसएस के अन्य कनिष्ठ स्तर के अधिकारी/कर्मचारियों के तैनाती आदेश संबंधित प्रशासनिक इकाई द्वारा अध्यक्ष एवं कार्यकारी अधिकारी रेलवे बोर्ड/बोर्ड सदस्यों/ महानिदेशकों/सचिव(आरबी)/अपर सदस्यों/प्रधान कार्यपालक निदेशकों के संबंधित कार्यालयों/सेलों में तैनात करते हुए जारी किए जाएंगे। ऐसे कनिष्ठ अधिकारी/कर्मचारी अपनी एपीएआर वरिष्ठतम आरबीएसएसएस अधिकारी (उपरोक्त i में उल्लिखित) को प्रस्तुत करेंगे जो अकेले ही रिपोर्टिंग/पुनरीक्षण/स्वीकृति प्राधिकारी होगा।

2. अध्यक्ष एवं कार्यकारी अधिकारी रेलवे बोर्ड, बोर्ड सदस्यों, महानिदेशकों, सचिव/रेलवे बोर्ड, अपर सदस्यों और प्रधान कार्यपालक निदेशकों के कार्यालयों/सेल में तैनात सभी संबंधित अधिकारी/कर्मचारियों से उपरोक्त दिशानिर्देशों के अनुसार अपनी एपीएआर प्रस्तुत करेंगे।

सं.2023/ओएंडएम/2/2

दिनांक 07.12.2023


(टी.श्रीनिवास)
संयुक्त सचिव/रेलवे बोर्ड
दूरभाष सं. 011-47845551

ईमेल आईडी: t.srinivaas1@gov.in

प्रतिलिपि प्रेषित:

अध्यक्ष एवं कार्यकारी अधिकारी रेलवे बोर्ड, बोर्ड सदस्यों, महानिदेशकों, सचिव/रेलवे बोर्ड, अपर सदस्यों और प्रधान कार्यपालक निदेशकों के कार्यालयों/सेल में तैनात सभी अधिकारी/कर्मचारी।

प्रतिलिपि सूचनार्थ:

1. अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, रेलवे बोर्ड, सदस्य परिचालन एवं व्यवसाय विकास, सदस्य वित्त, सदस्य/अवसंरचना, सदस्य/कर्षण, सचिव/रेलवे बोर्ड, महानिदेशक (मानव संसाधन), महानिदेशक (रेलवे स्वास्थ्य सेवाएं), महानिदेशक (रे.सु.बल), महानिदेशक(संरक्षा)।
2. रेलवे बोर्ड में सभी अपर सदस्य तथा प्रधान कार्यपालक निदेशक।
3. कार्यपालक निदेशक जन शिकायत/रेल मंत्री, कार्यपालक निदेशक जन शिकायत/रेल राज्य मंत्री (डी), कार्यपालक निदेशक जन शिकायत/रेल राज्य मंत्री (जे)

प्रतिलिपि आवश्यक कार्यवाई हेतु:

उपरोक्त के अनुपालन में तैनाती आदेश जारी/आशोधित करने के लिए ईआरबी-I, ईआरबी-II और ईआरबी-V शाखाएं।